चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 26.11.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा में वाहनों को देखा तत्पश्चात मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम,क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक सुधार हेतु को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।

(4). आज दिनाँक 26.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). आज दिनाँक 26.11.2023 को संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा भारतरत्न डॉ भीम राव अम्बेडकर की चित्र पर माल्यार्पण कर पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा संविधान के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी तथा पुलिस कार्यालय का भ्रमण कर कार्यालय के बाहरी परिसर को साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री राजेश द्विवेदी, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री पारितोष दीक्षित,श्री राजीव कुमार सिंह एवं कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(6). आज दिनाँक 26.11.2023 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल द्वारा नगर कार्यालय कालूपुर में,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह क्षेत्राधिकारी कार्यालय राजापुर में,क्षेत्राधिकारी प्रशुक्षि श्री फहद अली थाना मानिकपुर में एवं प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन्स चित्रकूट श्री शिवनारायण पुलिस लाइन्स में भारतरत्न डॉ भीम राव अम्बेडकर की चित्रों पर माल्यार्पण कर थाना/कार्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलायी गयी।

(7). पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट में घटित छात्रा कि हत्या के घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह सम्बंधित निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 15.11.2024 को थाना कोतवली कर्वी अन्तर्गत ग्राम कसहाई में छात्रा की हत्या के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना का खुलासा करते हुये घटना कारित करने वाले तथा घटना में संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. रहीस पुत्र रफीक खान निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी
2. कल्लू पुत्र सोडधा निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी

बरामदगीः-

21000/- रूपये

04 अदद छागल सफेद धातु

04 अदद पायल सफेद धातु

01 अदद बालचोटी सफेद धातु

01 अदद लाकेट पीली धातु

03 लाकेट पीली धातु

04 मोती पीली धातु

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

शिवरहा तालाब महुआ गांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ,दिनाँक 26.11.2024 की सुबह समय 08.00 बजे

सक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 15.11.2024 को सूचना प्राप्त हुई की ग्राम कसहाई में छात्रा की हत्या हो गयी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 705/2024 धारा 333/103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी नगर, थाना कोतवाली कर्वी एवं फील्ड यूनिट की पुलिस टीम द्वारा मौके पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 05 टीमों का गठन कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु उचित दिशा निर्देश दिया गया। विवेचना के क्रम में प्रभारी निरीक्षक व एसओजी टीम द्वारा व मामूर मुखविर की सूचना से उक्त घटना के अज्ञात अभियुक्त नटों द्वारा घटना कारित किये जाने का तत्थ प्रकाश में आया। इसी क्रम में पुलिस द्वारा अगल बगल नटों के डेरों में पूछंताछ के दौरान चश्मदीद 07 वर्षीय बच्चें शाहीद उर्फ अब्बे पुत्र सादिक उर्फ खरहा के बयान से 1. गुड्डु 2. छुटकू पुत्रगण मोहर्रम 3. इरफान पुत्र नवी निवासीगण कुर्मिन का पुरवा 4. शरीफ उर्फ इक्यहवा निवासी जजौली थाना करारी 5. रहीस निवासी बहादुरपुर थाना करारी जिला कौशाम्बी का नाम प्रकाश में आया जिसने द्वारा मृतिका मुस्कान द्वारा पहचान करने पर उसकी हत्या कर आभुषण एवं रूपये सहित अन्य सामाग्री लूट कर भाग गये थे। जिसके क्रम में एसओजी व थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर सूचना मिली कि साहब दिनांक 15.11.2024 को जो दिन में मुस्कान की हत्या करके व घर से सामान व रुपया लूटा गया था उससे सम्बन्धित जिन अभियुक्तो की आप लोग तलाश कर रहे है। उनमें से दो व्यक्ति 1. रहीस पुत्र रफीक खान 2. कल्लू पुत्र सोडढा खान पिठ्ठू बैग झोला लिये शिवरहा तालाब महुआ गांव राजापुर के पास सड़क पर किसी वाहन का खडे होकर इंतजार कर रहे है और घटना मे लूटे गये माल को ले जाकर कही बेचने की फिराक मे है। इस सूचना पर हिकमत अमली से आवश्यक बल प्रयोग कर घेरघार कर तालाब के रपटे पर दौडा कर पकड लिया पकडे हुये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम 1. रहीस पुत्र रफीक खान उम्र 35 वर्ष निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी बताया जिसके पास से कुल 11500 रुपये बरामद हुआ तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम कल्लू पुत्र सोडधा उम्र 45 वर्ष निवासी कुर्मिन का पुरवा जजौली थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी बताया सफेद धातु 04 अदद छागल , 04 अदद पायल , एक अदद बालचोटी व पीली धातु के 01 अदद लोकेट चपडा लगा हुआ जिसमे 06 मोती दो गोल मोती क्रिस्टल की मोतियो से गुहा हुआ पीली

धातु व 3 लोकेट चपडा युक्त व 4 मोती पीली धातु व 4 मोती पीली धातु व क्रिस्टल मोतियो से गुहा हुआ बरामद हुआ। तथा पहने हुये ब्लेजर की दाहिनी जेब से पांच पांच सौ के 19 अदद नोट (उन्नीस अदद नोट) कुल योग 9500 रुपये बरामद हुआ उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) की लोप करते हुए 310(3)317(3) बीएनएस की बढोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
2.उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह
3.उ0नि0 श्री गौरव तिवारी
4.उ0नि0 श्री हर्षित मिश्रा
5.आरक्षी राहुल देव
6.आरक्षी नीतू द्विवेदी
7.आरक्षी पवन राजपूत
8.महिला आरक्षी रुचि वर्मा

एसओजी टीमः-

1.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुमार
2.मुख्य आरक्षी नीतेश समाधिया
3.आरक्षी रोहित सिंह
4.आरक्षी गोलू भार्गव

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती पायल पत्नी लवकुश सिंह निवासी ग्राम जमहीली थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति लवकुश द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर घर से निकालने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी,महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा व घर से न निकालने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी शिवांगी श्रीवास्तव

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2019 धारा 304,323,452,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. छोटेलाल उर्फ छोटा केवट पुत्र शोभावन केवट निवासी सिरावल माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का साधार कारावास 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से 2. कल्लू सिंह उर्फ अमर सिंह पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटा केवट 3. श्रीमती अनिता देवी पत्नी कल्लू सिंह उर्फ अमर सिंह केवट 4. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी छोटेलाल उर्फ छोटा केवट निवासीगण सिरावल माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 03-03 वर्ष का कारावास 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.10.2019 को वादिया श्रीमती शान्ति देवी पत्नी उदयभान केवट निवासी सिरावल माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी गई कि 1.छोटेलाल उर्फ छोटा केवट 2.कल्लू सिंह उर्फ अमर सिंह 3. श्रीमती अनिता देवी 4. श्रीमती सुनिता देवी द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरे पति उदयभान पुत्र जुड़ावन को बाहर खिचकर लाठी डण्डों से सर में प्रहार कर गम्भीर रूप से घायल कर देना जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 160/2019 धारा 304/323/452/504/506 भादवि0 बनाम 1.छोटेलाल उर्फ छोटा केवट 2.कल्लू सिंह उर्फ अमर सिंह 3. श्रीमती अनिता देवी 4. श्रीमती सुनिता देवी पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र तिवारी द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 05.01.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत एनसीआर नं0 162/2019 धारा 323/34,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. सुरिजभान पुत्र रामजुड़ावन 2. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी उदयभान 3. राममनि उर्फ चौकीदासी पत्नी सुरिजभान निवासीगण सिरावल माफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 06-06 माह का कारावास व कुल 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।